उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या-1/40/तीस-1-2014-5(67)/2013
लखनऊ:दिनांक 24 फरवरी, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की जनता को बेहतर यात्री परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत परिवहन विभाग की वित्तीय स्थिति में सुधार व बस बेड़े की प्रतिस्थापना एवं आधारभूत संरचनाओं के सृजन एवं रख-रखाव हेतु पूंजी निवेश की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-6 की उपधारा-(1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में निर्धारित दर के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये अतिरिक्त कर की धनराशि के विपरीत 1/3 भाग अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के माध्यम से निगम को पूंजी अंशदान के रूप में उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त व्यवस्था मात्र तीन वर्ष के लिए इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा राज्य सरकार को देय अतिरिक्त कर की धनराशि का कम से कम 75 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।

आज्ञा से,
कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव।

संख्या-1/40(1)/तीस-1-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
4- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-9/वित्त आय-व्यय अनुभाग।
5- कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- परिवहन अनुभाग-3 को इस आशय के साथ कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग को प्रस्ताव संदर्भित कर आवश्यक बजट व्यवस्था कराये जाने की कार्यवाही सुनिशिचत करें।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in